भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3954
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

सरकारी पैनलों में स्थायी महिला अधिवक्ता

3954 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पैनल में महिला अधिवक्ताओं की संख्या पुरुष अधिवक्ताओं की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने में बेहतर लैंगिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केंद्र सरकार के पैनलों में मंत्रालय/विभागवार पुरुष और महिला वकीलों की संख्या कितनी-कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी नहीं ।
(ख) : मंत्रालयों और विभागों के पैनल पर अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करने के लिए चयन उन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है जिनसे आवेदन प्राप्त होते हैं । भारत संघ के लिए केंद्रीय सरकार अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करने में किसी व्यष्टिक वर्ग के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं है ।
(ग) : केंद्रीय सरकार विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में भारत संघ का पूर्ण रुप से प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं का पैनल बनाती है । वर्तमान पैनल पर अधिवक्ताओं की संख्या निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अधिवक्ताओं की संख्या	
		पुरुष	महिला
1.	विधि कार्य विभाग	5382	411
2.	राजस्व विभाग (सीबीडीटी)	151	36
3.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	54	21

****